नगरपालिका निगम, हैदराबाद

बनाम

सुनदर सिंह

(2008 की सिविल अपील सं.3627)

16 मई, 2008

[एस. बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 41,नियम 23-रिमांड अपीलीय न्यायालय द्वारा-स्कोप-हेल्ड-बहुत सीमित है। न्यायालय के निर्देश पर रिमांड का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है-आदेश 41,नियम 23 को तब लागू किया जाता है जब एक प्रारंभिक विवाद पर डिक्री पारित की जाती है और अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से असहमत होता है-अपीलीय न्यायालय द्वारा शक्ति तब इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए जब उसे पूरे मामले को निपटने में कठिनाई हो।

प्रतिवादी ने संपत्ति के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा और अपीलीय-निगम को उक्त संपत्ति की गलत नीलामी से प्राप्त रकम का अभिलेख देने के निर्देश हेतु वाद दायर किया है। द्वितियक साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में अंतरवर्ती आवेदन लगाया गया था। आवेदन खारिज कर दिया गया। जिसके बाद, वह वाद भी खारिज हो गया, जिसके विरुद्ध अपील लाई गई। उच्च

न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और वाद को विचारण न्यायालय को रिमांड बैक कर दिया। और अब ये वर्तमान अपील।

अपील की अनुमति देकर और वाद को गुण के आधार पर विचार करने हेतु उच्च न्यायलय को रिमांड किया गया, न्यायालय ने यह स्थापित किया -

हेल्ड -

1.1 आदेश XLI नियम 23 सीपीसी तब लागू होगा जब प्रारंभिक विवाद पर डिक्री पारित होगी। इस विवाद पर अपीलीय न्यायालय, विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से असहमत होना चाहिए। उक्त प्रावधान को लागू करने से पहले, बताई गई शर्ते पूरी होनी चाहिए। [पारस 10,11] [642-बी,सी,डी]

1.2 न्यायालय को आदेश XLI नियम 23 सीपीसी के संदर्भ में शक्ति इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और रिमांड का आदेश आम तौर पर पारित नहीं करना चाहिए। अपीलीय न्यायालय को इसे केवल इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए की उसे उस वाद को निपटने में कठिनाई हो रही है। अगर वह विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमत नही है, तो इस में स्वयं के निष्कर्ष के साथ आना चाहिए। अपीलीय न्यायालय अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकता। [पैरा 11] [642- D,E]

1.3 आदेश XLI नियम 23 सीपीसी के संदर्भ में रिमांड का स्कोप

बेहद सीमित है। वर्तमान मामले में, वाद को प्रारंभिक विवाद पर निर्धारित नही किया गया था। द्वितीयक साक्ष्य किस वजह से लिए गए थे, यह स्पष्ट नहीं है। द्वितीयक साक्ष्य को देने के आदेश को उच्च न्यायालय ने अपास्त नही किया Or. XLI, r 23 सीP सी भी लागू नहीं होता। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा की पुन: विचारण आवश्यक है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी नही पहुंचा की डिक्री को बदलना चाहिए। सीपीसी के आदेश XLI नियम 23 के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने का कोई मामला नहीं बनता है। रिमांड का आदेश न्यायालय के मत पर नहीं किया जा सकता। [पैरा 19,20] [650-G, 651- ए,B,सी]

दादू दयालु महासभा, जयपुर (ट्रस्ट) बनाम महंत राम निलवास वगेहरा. (सिविल अपील संख्या 3495 का 2008) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12-05-2008 को निस्तारित किया गया। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3627 का 2008 आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में उच्च न्यायलय से दिनांक 08-04-2004 के सी.सी.सी.ए सं. 64 के 1998 के अंतिम निर्णय और आदेश से। अपीलार्थी की ओर से, एल एन राव, जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बेरपानुर, सिद्धार्थ पटनायक और जी. अरुण। प्रथियार्थी की ओर से, एम एन राव, प्रोमिला, ए.रमेश और अंशुमन

नगरपालिका निगम, हैदराबाद

बनाम

सुनदर सिंह

[एस. बी. सिन्हा, जे.]

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. के द्वारा दिया गया, अनुमति दी गई।

2. यह अपील दिनांक 08.4.2004 के एक निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके तहत हैदराबाद उच्च न्यायालय ने वरिष्ट सिविल न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद द्वारा O.S. सं. 573 का 1991 दिनांक 24.4.1998 को पारित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया और मामले को विद्वान विचारण जज के पास भेज दिया गया।

देवी सिंह प्रतिवादी के पूर्ववर्ती हितैषी हैं। पक्षों के बीच मूल विवाद लगभग 1250 वर्ग गज भूमि पर केंद्रित था, जो करवन अस्पान में स्थित 'मैदान बाजार जामेरथ' नामक बाजार में स्थित थी और पूर्व में नहर और पुलिस स्टेशन से, पश्चिम में 'बकर मंडी' से घिरा था। उत्तर में वादी की सीमेंट सड़क, कब्रिस्तान और झोपड़ियाँ हैं और दक्षिण में वादी की ज़मीन, झोपड़ियाँ और कब्रिस्तान हैं। ऐसा कहा गया था कि यह वादी की पैतृक संपत्ति थी और उसके पूर्वजों द्वारा खरीदी गई थी।

उक्त मुकदमे में देवी सिंह ने अपीलकर्ता को उक्त संपत्ति पर उसके शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की। उक्त संपत्ति में खुली भूमि शामिल थी।

उक्त मुकदमे की डिक्री 09-04-1960 को या उसके आस पास सुनाई गई थी। अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध एक अपील दायर की गई थी, जिसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.02.1967 के एक निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी थी।

3. देवी सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की। मामले के तथ्य पर इस न्यायालय द्वारा देवी सिंह बनाम नगर निगम, हैदराबाद (1973 (4) एससीसी 66) में दिए गए निर्णय में विस्तार से चर्चा की गई।

उक्त निर्णय के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है, की धन सिंह द्वारा करवन अस्पान में स्थित सर्वेक्षण संख्या 5943 और 5944 वाली 2750 वर्ग गज भूमि पर एक कथित दावा किया गया था, इस आधार पर की उन्होंने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। वर्ष 1921 में कहा गया की यह निषिद्ध क्षेत्र में आज्ञा था। निर्विवाद रूप से मुकदमे में शामिल संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था और धन सिंह को 1250 वर्ग गज के लिए मुआवजा दिया गया था, न की उस क्षेत्र के पूरे भूखंड के लिए, जिसे 2750 वर्ग गज कहा जाता है। इस न्यायालय ने पाया की जिस 1250 क्षेत्रफल के भूखंड के लिए धन सिंह को जो मुआवजा दिया गया था, वह बाजार से बहुत दूर था और वह कई अन्य भूखंड थे जो हस्तक्षेप करते थे। इसके अलावा यह देखा गया की रिकॉर्ड की वर्तमान

स्थिति में प्रतिवादी निगम के मामले को समेटना कुछ हद तक मुश्किल था, की बिक्री विलेख के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसके लिए धन सिंह को मुआवजे का भुगतान बाजार और 1250 गज के प्लॉट की सापेक्ष स्थिति के साथ और किया गया था।

15. सरफे-खास के समक्ष पूरी कार्यवाही और दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करना मुश्किल है जिसके अनुसार सरफे-खास द्वारा वादी को उसके दावे की पूरी जांच के बाद बाजार सहित जमीन या संपत्ति पर कब्जा दिया गया था। ऐसा कोई आरोप नही था की वे सभी कार्यवाहियां क्षेत्राधिकार के बिना थी या मिलीभगत से थी। हालाकि अब प्रतिवादी निगम की ओर से हमारे समक्ष यह सुझाव दिया गया है कि सरफे-खास विलय विनियमन 1358 फसली के आधार पर फरवरी 1949 में सरफे-खास विभाग का अस्तित्व समाप्त हो गया था। मंत्री सहित विभिन्न प्राधिकारी के आदेशों में इस बात का कोई संकेत नहीं है की सरफे-खास के पास यह निर्णय लेने का कोई क्षेत्राधिकार नही रह गया है की जिस संपत्ति पर सरफे-खास ने दावा किया है वह किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति थी या हैदराबाद के निजाम की निजी संपत्ति का हिस्सा थी।

16. वादी की और से हमारे समक्ष यह कहा गया की सरफे-खास द्वारा किए गए आदेश साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के तहत ग्राह्य और प्रासंगिक थे। इन बिंदुओं पर निचली न्यायालय ने विचार नही किया है न

कोई निर्णय लिया गया है, और हम भी इस पर कोई राय व्यक्त करना नही चाहते है। जिन समझोते का संदर्भ हमारे द्वारा पहले दिया गया है और जिन्हें निगम द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है, उन्होंने भी विवाद के बिंदुओं पर काफी प्रकाश डाला होगा। हमारे निर्णय में यह एक अपयुक्त मामला है जिसने विचारण न्यायालय में रिमांड आवश्यक है। विचारण न्यायालय इस कानूनी बिंदुओं को छोड़कर, जिसका निपटारण हमारे द्वारा पहले ही किया जा चुका है, केवल पक्षों के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित मुद्दों पर मामले को नए सिरे से तय करेगा। दोनो पक्ष याचिकाओं में ऐसे संशोधन मांगने के लिए स्वतंत्र होंगे जो स्वामित्व और कब्जे के प्रश्न पर स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो सकते है। लेकिन ऐसी कोई भी दलील पेश नही की जाएगी जिससे मामले की प्रकृति बदल जाए। ताजा साक्ष्य भी दोनो पक्षों के द्वारा इन दो मामलों तक ही सीमित रखे जा सकते है। यदि कोई भी पक्ष इस संबंध में आवेदन करता है तो वह विचारण न्यायालय का काम होगा की वह हमारे द्वारा लहले ही उल्लिखित विभिन्न मामलो के संबंध में एक आयुक्त द्वारा पूरी जांच कराए। दोनो पक्षों ने विचारण न्यायलय के समक्ष ऐसे सभी दस्तावेज पेश करने की इच्छा व्यक्त की है जो प्रासंगिक है और जो न्यायालय के दोनो पक्षों स्वामित्व और कब्जे के प्रश्न को संतोषजनक तरीके से निपटने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद है।

4. देवी सिंह की मृत्यु हो गयी. इसके बाद, उनके उत्तराधिकारियों

और कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया। माना जाता है कि न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसरण में या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किसी संशोधन की मांग नहीं की गई थी। हालाँकि, पक्षों ने अतिरिक्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

5. मुकदमे की डिक्री फिर से प्रत्युत्तरदात के पक्ष में सुनाई गई। इसके विरुद्ध, एक अपील दायर की गई थी जिसे 1975 के सीसीसीए नंबर 112 के रूप में चिह्नित किया गया था। दिनांक 20.7.1979 के एक निर्णय और आदेश के कारण, उक्त अपील की अनुमति दी गई थी। इसके विरुद्ध कोई और अपील नहीं की गई। इसलिए, पार्टियों के बीच इसे अंतिम रूप दिया गया।

6. हालाँकि, उत्तरदाताओं ने 3.6.1991 को या उसके आसपास संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के लिए 1991 का ओएस नंबर 573 दायर किया, जिसका विवरण इस प्रकार है: "संपत्ति की अनुसूची वह सभी संपत्ति जिसका आकार वर्ग गज है, जुमेराथ बाजार, हैदराबाद में स्थित है और उत्तर से घिरा है: वादी की संपत्ति और मुख्य सड़क (सीमेंट);

दक्षिण: वादी की शेष संपत्ति;

पूर्व: नल्ला और वादी की संपत्ति;

पश्चिम: वादी की शेष संपत्ति।

7. स्थायी निषेधाज्ञा देने और प्रतिवादी-निगम को गलत नीलामी से

प्राप्त राशि का हिसाब देने का निर्देश देने के लिए डिक्री की प्रार्थना की गई थी। माना जाता है कि, 1959 के उक्त ओएस नंबर 7 में चिह्नित किए गए कथित दस्तावेजों के द्वितीयक साक्ष्य को जोड़ने के लिए एक अंतरवर्ती आवेदन दायर किया गया था।

उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया। दिनांक 24.4.1998 के एक निर्णय एवं आदेश द्वारा उक्त वाद खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ एक अपील दायर की गई थी, जिसे दिनांक 8.4.2004 के आक्षेपित आदेश के आधार पर अनुमति दी गई है और जैसा कि यहां पहले देखा गया है, ट्रायल कोर्ट में भेज दी गई है।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एल एन राव यह प्रस्तुत करेंगे कि मुकदमेबाजी के पहले दौर को ध्यान में रखते हुए उसमें आए तथ्य के निष्कर्षों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने प्रतिबद्ध किया है विद्वान विचारण जज के निर्णय को अपास्त करने और मामले को वापस उसके पास भेजने में गंभीर त्रुटि हुई। यह आग्रह किया गया था कि मुकदमे के पहले दौर में न केवल स्वामित्व का प्रश्न था, बल्कि उसी संपत्ति के संबंध में कब्ज़ा भी हो गया था, इसलिए आक्षेपित निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एमएन राव का तर्क है कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संशोधित सिविल

प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 23 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संपत्तियां अलग-अलग हैं, दूसरा मुकदमा चलने योग्य था। यह आग्रह किया गया था कि चूंकि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए थे, इसलिए उन दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य जोड़ने के लिए प्रार्थना की गई थी, जिन पर अपीलकर्ता-निगम ने पहले के मुकदमे में ही भरोसा किया था। यह बताया गया कि दिनांक 27.8.1998 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, अपीलकर्ता-निगम को प्रति सप्ताह 5,000/- रुपये की राशि प्राप्त हो रही है और इस प्रकार यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है।

संहिता का आदेश XLI नियम 23 इस प्रकार है: "अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले का रिमांड-जहां जिस न्यायालय की डिक्री से अपील की गई है, उसने प्रारंभिक बिंदु पर मुकदमे का निपटारा कर दिया है और अपील में डिक्री को उलट दिया गया है, अपीलीय न्यायालय, यदि उचित समझे, आदेश रिमांड द्वारा कर सकता है मामला, और आगे निर्देशित कर सकता है कि इस प्रकार रिमांड किए गए मामले में किस मुद्दे या मुद्दों पर विचार किया जाएगा, और अपने फैसले और आदेश की एक प्रति उस न्यायालय को भेजेगा जिसकी डिक्री से अपील की गई है, जिसके तहत मुकदमे को फिर से स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है। सिविल मुकदमों के रजिस्टर में इसकी मूल संख्या, और मुकदमे का निर्धारण करने

के लिए आगे बढ़ें; और मूल परीक्षण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य (यदि कोई हो), सभी अपवादों के अधीन, रिमांड के बाद परीक्षण के दौरान साक्ष्य होंगे।"जो संशोधन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए लागू है वह मद्रास राज्य के समान है, जो इस प्रकार है: "(ए) शब्दों के बाद "डिक्री को अपील में उलट दिया जाता है", शब्द डालें "या जहां अपीलीय न्यायालय अपील के तहत डिक्री को उलटने या रद्द करने में न्याय के हित में मामले को वापस भेजना आवश्यक समझता है"; और (बी) "अपीलकर्ता न्यायालय कर सकता है" शब्दों के बाद आने वाले शब्दों "यदि वह उचित समझे" को हटा दें।

10. आदेश एक्सएलआई नियम 23 तब लागू होगा जब प्रारंभिक मुद्दे पर डिक्री पारित की गई हो। अपीलीय अदालत को उक्त मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से असहमत होना चाहिए। केवल जब किसी डिक्री को अपील में पलटना होता है, तो अपीलीय अदालत न्याय के हित में मामले को रिमांड पर लेना आवश्यक समझती है। यह एक सक्षम प्रावधान प्रदान करता है। यह अपीलीय अदालत को विवेकाधीन क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।

11. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि उक्त प्रावधान को लागू करने से पहले, उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश एक्सएलआई नियम 23 के संदर्भ में अपनी शक्ति का प्रयोग करने

से बचना चाहिए और रिमांड का आदेश नियमित रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अपीलीय अदालत द्वारा केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे पूरे मामले से निपटना मुश्किल लगता है। यदि वह टविचारण न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं है, तो उसे अपना उचित निष्कर्ष लेकर आना होगा। अपीलीय अदालत अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकती।

12. ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दे इस प्रकार हैं:

"1. क्या वादी को मुकदमे की संपत्ति का मालिकाना हक मिला है?

2. क्या वादी, वादी के रफ स्केच में हरे रंग में दिखाई गई संपत्ति पर कब्जा पाने का हकदार है?

3. क्या प्रतिवादी हिसाब देने के लिए उत्तरदायी है?

4. क्या वादी 2790 वर्ग गज की खाली जगह के संबंध में निषेधाज्ञा का हकदार है?

5. क्या मुकदमा चलने योग्य नहीं है?

6. किस राहत के लिए?"

13. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की दलीलों पर ध्यान दिया कि ट्रायल कोर्ट को द्वितीयक साक्ष्य जोड़ने के लिए अंतरवर्ती आवेदन को

खारिज नहीं करना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि दूसरा मुकदमा केवल इसलिए दायर किया गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के बावजूद, वादपत्र में संशोधन नहीं किया गया था। फिर भी संशोधन का दायरा सीमित था। कोई नया मामला नहीं बनना था।

14: उच्च न्यायालय ने अपने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया, जैसे की, क्या वादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले द्वितीयक साक्ष्य के अभाव में मामले की मेरिट पर गौर करना उचित और उचित है।

अपीलकर्ता की दलीलों को बरकरार रखते हुए कि वर्तमान मुकदमा दायर करना प्रतिवादी के लिए खुला नहीं था और यहां तक कि अगर दस्तावेजों पर विचार किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के बाध्यकारी प्रकृति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय के समक्ष कोई मतभेद पैदा नहीं होगा। यह माना गया:

> "मेरी राय है कि यद्यपि प्रतिवादी के विद्वान वकील के तर्क में दम है, लेकिन तथ्य यह है कि ट्रायल कोर्ट ने 1975 के सीसीसीए नंबर 112 में उल्लिखित कुछ पुराने दस्तावेजों पर भी उन्हें साक्ष्य में प्राप्त किए बिना भरोसा किया था।"

इसके अलावा यह राय दी गई:

> "मामले को मेरिट पर निपटना उचित नहीं है क्योंकि

यह उसके संबंधित पक्षों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मेरा विचार है कि वर्तमान मुकदमा वाद की मद संख्या 1 में अनुसूचित संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए और मेसने मुनाफे के कब्जे की वसूली के लिए दायर किया गया था। यह कहा गया है कि वाद भूमि की मद संख्या 1 जुमेराथ बाजार द्वारा कवर की गई थी और देवी सिंह ने 1250 वर्ग गज के संबंध में शीर्षक खो दिया है जैसा की निषेधाज्ञा के लिए पूर्व में दायर वाद में कहा गया है। अन्य संपत्ति के संबंध में देवी सिंह का शीर्षक पहले के मुकदमे में बिल्कुल भी तय नहीं किया गया था और यह वादी का मामला है कि जब तक Exs.B-1 से B-80 और EXs: X-1 से X-47 दस्तावेज़, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर मुद्रित पुस्तक हैं, को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाता है, यह वादी के वाद में अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के मूल्यवान अधिकार से वंचित करने जैसा होगा। अदालत ने द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के वादी के अनुरोध को खारिज कर दिया, यह माना कि मुकदमे में दायर किए गए प्रदर्शनों को छोड़कर, वादी ने अपने कब्जे के संबंध में या मुकदमे की अनुसूची संपत्ति के किसी भी हिस्से

के संबंध में या अपने बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया या 1940 में कब्जे या एमसी 11 द्वारा कब्ज़े की डिलीवरी, जैसा कि उनके द्वारा तर्क दिया गया था और 1975 के सीसीसीए नंबर 112 में निर्णय अंतिम हो गया है। विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि वादी ने 2790 वर्ग गज की अनुसूची संपत्ति के आइटम 'ए' के संबंध में अपना कब्जा स्थापित करने के लिए कागज का एक टुकड़ा दाखिल नहीं किया है।"

इसके अलावा यह राय दी गई थीः "विवादित तथ्यों के मद्देनजर दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों को इस न्यायालय द्वारा चिह्नित नहीं किया जा सकता है और उक्त दस्तावेजों को द्वितीयक साक्ष्य जोड़कर चिह्नित किया जाना है, जो प्रतिवादी द्वारा आपत्तियों और जिरह के अधीन होगा। इसलिए, मेरी राय है कि यह ट्रायल कोर्ट को रिमांड पर लेने का मामला है। ट्रायल कोर्ट के लिए वादी के कानून के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य प्राप्त करने के अनुरोध पर विचार करना उचित और उचित है। इसलिए, यह उचित और उचित है उन दस्तावेजों को चिह्नित करें, जिन पर पहले के मुकदमे में दोनों पक्षों ने भरोसा किया था और उन पर विचार करें जिन पर इस न्यायालय ने 1975 के सीसीसीए नंबर 112 में पहले ही विचार किया था। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई पुस्तक में किसी भी दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह है, प्रतिवादी के लिए आपत्ति लेना

और वादी के गवाह के सामने उक्त दस्तावेज़ का सामना करना हमेशा खुला रहता है।

मेरा विचार है कि वादी को एक अवसर दिया जाना चाहिए था और वादी को मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में माध्यमिक साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर देने से बाहर नहीं किया जा सकता है और इसलिए, अन्य सभी प्रश्नों पर विचार किए बिना और बिना मामले की योग्यता पर कोई भी विचार व्यक्त करते हुए, मेरा विचार है कि वादी और प्रतिवादी को उनके द्वारा दायर किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में माध्यमिक साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देने के लिए मामले को रिमांड पर लेना उचित है।" सम्मान सहित कहा जाए तो, हाई कोर्ट का रुख सही नहीं था. यह अपने सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा।

15. मुकदमेबाजी के पहले दौर में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपने निष्कर्ष पर पहुंची। डिवीजन बेंच के विचाराधीन प्रश्नों में से एक यह था कि क्या नगर सुधार बोर्ड द्वारा अधिग्रहीत भूमि की पहचान के संबंध में और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या धन सिंह को उसके पास मौजूद भूमि के लिए मुआवजा दिया गया था, यह माना गया था:

"वर्ष 1915 में मुआवजा न्यायालय द्वारा पारित Ex.D-5, धन सिंह ने मुआवजे के लिए कोई अन्य दावा

नहीं किया। इससे यह संभावना बनेगी कि यदि वास्तव में उनके पास किसी बड़ी संपत्ति का मालिक होता, तो उन्होंने इतनी बड़ी सीमा तक मुआवजे का दावा किया होता संपत्ति का भी। इस तरह के दावे की अनुपस्थिति इस बात की प्रबल संभावना है कि उनके पास 125 (लगभग 1250) वर्ग गज से अधिक की कोई जमीन नहीं थी, जिसके लिए उन्हें मुआवजा प्रदान किया गया था और भुगतान किया गया था। धन सिंह ने दावा किया Ex.D-10 के तहत बूचड़खाने से सटे कुछ प्लॉट नंबर 5945/D के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने याचिका के साथ एक योजना भी दायर की है लेकिन उस पूर्ण की पहचान अस्पष्ट छोड़ दी गई है। पहचान में कोई सबूत नहीं है Ex.D-10 के तहत किया गया दावा कैसा था, लेकिन फिर भी दावा किया गया कि धन सिंह ने तब भी स्वीकार किया था कि प्लॉट नंबर 5945/D भी निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर था।"

16. इसे प्रस्तुत किया है। जब उनके पास Ex.P.12 मूल की अभिरक्षा है, तो सामान्य धारणा यह है कि उनके पास भी इसकी अभिरक्षा होगी। वह योजना जो उदाहरण पी.12 का हिस्सा बनी। निषेधाज्ञा का मुकदमा धारा 107 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही के तुरंत बाद देवी सिंह द्वारा दायर किया गया था।

"उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही उनके पक्ष में समाप्त हो गई और जब से उन्होंने दायर किया है तब से यह सामान्य आधार है मुकदमा, उनके पक्ष में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा लागू हो गई है। उक्त अंतरिम निषेधाज्ञा जारी होने के बाद कब्जे का कोई भी कार्य देवी सिंह के मुकदमे की तारीख पर संपत्ति पर कब्जे के दावे में किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। इसलिए वादीगण ने संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं किया है। उन्होंने मुकदमे की तारीख पर मुकदमे की संपत्ति पर अपना कब्जा भी साबित नहीं किया है। सरफेखास प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश अमान्य हैं और निगम को किसी भी तरह से बाध्य नहीं करते हैं। यह सच है कि निगम ने वर्ष 1946 से ही संपत्ति पर प्रभावी कब्ज़ा साबित कर दिया है, लेकिन उन्होंने संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है। जिन वादी के पास संपत्ति का कोई स्वामित्व नहीं है, वे निगम के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो संपत्ति का वास्तविक मालिक है, भले ही यह मान लिया जाए कि मुकदमे की तारीख पर वादी के पास संपत्ति का कब्जा था। वादी द्वारा किए गए कब्जे के कार्य प्रकृति में भगोड़े हैं और किसी भी तरह से उनके कब्जे को स्थापित नहीं करते हैं।"

17. विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने 1991 के ओएस नंबर 573 में दिनांक 24.4.1998 के अपने फैसले और आदेश में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय के पहले के फैसले का विस्तार से उल्लेख किया:

> "विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद यह माना गया कि 1915 में धन सिंह ने मुआवजे के संबंध में भूमि संख्या 5943 और 5944 से संबंधित 1250 वर्ग गज के अलावा कोई अन्य दावा नहीं किया था। इससे यह संभावना बनेगी कि यदि वास्तव में वह यदि उसके पास इससे भी बड़ी संपत्ति थी, तो वह बड़ी संपत्ति के लिए भी मुआवजे का दावा कर सकता था। इस तरह के दावे की अनुपस्थिति इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके पास 1250 वर्ग गज से अधिक की कोई जमीन नहीं थी। मुआवजा प्रदान किया गया और उसे भुगतान किया गया। हालांकि धन सिंह ने बूचड़खाने से सटे कुछ प्लॉट नंबर 5945/डी के लिए दावा किया; उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त प्लॉट भी निषिद्ध क्षेत्र के भीतर था। आगे यह माना गया कि तथ्य यह है कि भले ही धन सिंह के पास प्लॉट संख्या 5945/डी पर कोई स्वामित्व था, लेकिन यह तब सीमा (एसआईसी) बन गया जब इसे लगभग 1920 में सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा

अधिग्रहित किया गया था। धन सिंह ने यह कहते हुए दावा किया कि यह सीमा उनकी संपत्ति में शामिल है क्रमांक 5943 और 5944 2750 वर्ग गज था। और 1250 वर्ग गज नहीं. और मुआवज़ा अदालत नुज़ुल की राशि में कटौती करने में सही नहीं थी।" इसके अलावा यह माना गया कि Exh द्वारा कवर की गई संपत्ति। ए-8 केवल 1250 वर्ग गज था और इससे अधिक कुछ नहीं था और 5410 वर्ग गज के संबंध में उक्त मुकदमे में वादी का दावा अत्यधिक असंभव प्रतीत होता था। इसके अलावा यह भी कहा गया था: "यदि धन सिंह, जो पहले Ex.ए8 के तहत दावा कर रहा था, संपत्ति संख्या 5943 और 5944 में केवल 2750 वर्ग गज का दावा कर रहा था, जबकि मुआवजा अदालत ने 1250 वर्ग गज का निर्धारण किया था और जब 2750 वर्ग गज का दावा उसे सीमित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था 1250 वर्ग गज का अधिकार नगर सुधार बोर्ड द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया और वादी के पिता देवी सिंह को मुआवजा दे दिया गया, इस पर कोई विवाद नहीं है।"

विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी के साक्ष्य पर भी विचार किया, जिसने खुद को पी.डब्लू.2 के रूप में जांचते हुए कहा:

"उनके अनुसार सूट की संपत्ति 5410 वर्ग गज है। जिसमें से काले रंग का क्षेत्र 2790 वर्ग गज है जो उनके कब्जे में है और हरे रंग के हिस्से पर नगर पालिका ने जबरन कब्जा कर लिया है। लाल रंग का हिस्सा भी उनका है। उन्होंने पिछली मुकदमेबाजी और ओएस 7/59 में पारित डिक्री के बारे में स्वीकार किया और उसे उच्च न्यायालय द्वारा Ex.B-1 के तहत रद्द कर दिया गया। उनके अनुसार निज़ाम सरकार ने 1940 के दशक में कहीं उनके पूर्वजों से उनकी संपत्ति छीन ली थी, जिसके बाद यह संपत्ति थी रिहा कर दिया गया। यह उल्लेख करना उचित होगा कि उन्होंने कोई दस्तावेज़ दाखिल नहीं किया।"

18. यह देखते हुए कि न तो मूल वादी और न ही देवी सिंह के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए उत्तरदाताओं ने पिछले मुकदमे में वाद में संशोधन नहीं किया था, यह माना गया कि उक्त मुकदमे में दोनों पक्षों के साक्ष्य बहुत कम हैं। उक्त मुकदमे को आदेश II नियम 2 के तहत यह कहते हुए वर्जित माना गया कि वादी को पिछले मुकदमे में ही घोषणा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी।

19. रिमांड का आदेश पारित करने के लिए अपीलीय अदालत की विभिन्न शक्तियों के बीच एक अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ऑर्डर एक्सएलआई नियम 23 के संदर्भ में रिमांड का दायरा बेहद सीमित है। मुक़दमे का निर्णय प्रारंभिक मुद्दे पर नहीं किया गया था। इसलिए ऑर्डर एक्सएलआई नियम 23 उपलब्ध नहीं था। किस आधार पर द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई यह स्पष्ट नहीं है। उच्च न्यायालय ने द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द नहीं किया।

20.सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश एक्सएलआई नियम 23ए भी लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था कि पुनः सुनवाई आवश्यक थी। उच्च न्यायालय फिर से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि डिक्री उलटने योग्य है। संहिता के आदेश एक्सएलआई नियम 23 के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है ।

अदालत की आईपीएस डिसीटी पर रिमांड का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II नियम 2 के प्रावधानों के साथ-साथ उसकी धारा 11 को भी लागू किया जा सकता है, बशर्ते कि पूर्ववर्ती शर्तें पूरी हों। हमें इस संबंध में प्राप्त होने वाली कानूनी स्थिति से निपटना नहीं पड़ सकता है क्योंकि हाल ही में दादू दयालु महासभा, जयपुर (ट्रस्ट) बनाम महंत राम निवास और अन्य (2008 की सिविल अपील संख्या 3495) मामले में इस न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर

विचार किया गया है। दिनांक 12.5.2008 को निस्तारित।

21. इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार इसे रद्द कर दिया गया है और मामले को गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करने के लिए वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है। यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।